बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

पत्रांकः–13:10:119:01:2019– 3351 /पटना, दिनांक– 18/3/19

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम,
बिहार।

विषयः– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत खरीफ विपणन मौसमों में धान/चावल के लंबित अधिप्राप्ति के दावे के भुगतान के संबंध मे।**

प्रसंगः– **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक– 6556 दिनांक– 15.11.2016 पत्रांक– 9004 दिनांक– 01.12.2015 पत्रांक– 5764 दिनांक– 14.11.2017 एवं निगम का पत्रांक– 14731 दिनांक– 04.12.2015 पत्रांक– 13566 दिनांक– 15.11.2016 पत्रांक– 11997 दिनांक– 24.11.2018**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत हैं कि खरीफ विपणन मौसम में प्रत्येक वर्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम के स्तर से अनुवर्त्ती निदेश में अधिप्राप्ति किये गये धान एवं सी0एम0आर0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है एवं कई मामलों में वायदा आधारित अधिप्राप्ति या अनियमितता के कारण भुगतान लम्बित है। उक्त दिशानिर्देश के तहद् सभी प्रकार के विपत्र एवं दावों की जाँच कर भुगतान की जवाबदेही जिला प्रबंधक की है। पूर्ववर्त्ती वर्ष 2014–15 के पूर्व के वर्षों में भी मिलिंग एवं हथालन का मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने के उपरान्त एवं सारे मामले में प्रबन्ध निदेशक को Representation पर सुनवाई कर उचित भुगतान का आदेश पारित किया जाता है। उन पर आदेश पारित नहीं होने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनेकों अवमाननावाद दायर हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विभागीय एवं निगम के निदेश एवं इससे इतर मुख्यालय स्तर से विपत्रों की जाँच कराना उपरोक्त विभागीय एवं निगम नीतिगत निर्णय के प्रतिकूल होता है। अतः उन सभी मामलों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का निष्पादन त्वरित गति से किया जाय, ताकि अनावश्यक रूप से अवमाननावाद दायर करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देश का गम्भीरता एवं कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

अनुः–1. **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का**
पत्रांक– 6556 दिनांक– 15.11.2016
पत्रांक– 9004 दिनांक– 01.12.2015
पत्रांक– 5764 दिनांक– 14.11.2017

2. **बिहार राज्य खाद्य निगम का**
पत्रांक– 14731 दिनांक– 04.12.2015
पत्रांक– 13566 दिनांक– 15.11.2016
पत्रांक– 11997 दिनांक– 24.11.2018

विभाग एवं निगम के Website पर उपलब्ध एवं पूर्व में प्रचारित।

विश्वासभाजन,
18/3/2019
प्रबन्ध निदेशक।

(5)

तीन प्रतियों में निर्गत की जायेगी, जिसकी एक-एक प्रति क्रमशः निगम क्रय केन्द्र, मिल एवं जिला प्रबंधक के कार्यालय में संधारित की जायेगी।

- खरीफ विपणन मौसम 2015-16 में मिलों द्वारा प्राप्त धान एवं हस्तगत कराये गये सी0एम0आर0 से संबंधित आँकड़ों के संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि समय-समय पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जाँच/निरीक्षण के क्रम में संबंधित निगम क्रय केन्द्र से निर्गत अधिप्राप्ति धान की मात्रा तथा मिल द्वारा कुटाई के उपरान्त संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम में हस्तगत एवं स्वीकृत सी0एम0आर0 की मात्रा तथा मिल परिसर में उपलब्ध अधिशेष अधिप्राप्ति धान एवं तैयार सी0एम0आर0 की मात्रा का आकलन करने में कठिनाई न हो। इस क्रम में उपर्युक्त सूचना विहित प्रपत्र - सी0 में दैनिक प्रतिवेदन के रूप में जिला प्रबंधक द्वारा मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी।
- प्रत्येक मिल पर सुचारु रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला अथवा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला स्तर के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि कुटाई उपरान्त तैयार चावल/सी0एम0आर0 को विहित प्रक्रियानुसार सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम पर परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से पहुँचाया जाय। विशेष परिस्थिति में निगम मुख्यालय के पत्रांक 2147, दिनांक 01.03.2013 के माध्यम से संसूचित व्यवस्था यथा सक्षम एवं इच्छुक मिलर द्वारा उपर्युक्त परिवहन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। कृपया जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षीय पदाधिकारी का एकरारनामित मिलों पर प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराया जाय।
- विगत खरीफ विपणन मौसम में एकरारनामित मिलों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों के निस्तार के क्रम में जिला प्रबंधक के कार्यालय में संबंधित क्रय केन्द्र अथवा बेस गोदाम पर निर्गत अधिप्राप्ति धान एवं परिवहन से संबंधित दस्तावेज के संधारण में कमी पाई गई है। फलतः माननीय न्यायालय में मिल के मालिकों द्वारा कतिपय मामलों में निगम क्रय केन्द्र से प्राप्त धान की मात्रा को चुनौती दी गई है। कृपया उपर्युक्त परिस्थिति की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु सभी प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं संबंधित दस्तावेज के संधारण पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिलान्तर्गत निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमानुसार वांछित दस्तावेज एवं पंजियों का संधारण तथा नियमित जाँच कराने का दायित्व जिला प्रबंधक का होगा।

7. **परिवहन**

- अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 के परिवहन कार्य हेतु परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता की उपलब्धता जिला प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला परिवहन समिति द्वारा विहित प्रक्रियानुसार परिवहन सह हथालन अभिकर्ता के चयन की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थिति में सक्षम/इच्छुक मिलरों द्वारा अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 के परिवहन का कार्य किया जा सकेगा।
- निगम क्रय केन्द्र/अधिसूचित अधिप्राप्ति बेस गोदाम से कुटाई हेतु अधिप्राप्ति धान जिला प्रबंधक द्वारा निर्गत भण्डार निर्गमादेश के आधार पर ही निर्गत किया जायेगा। मिल से उठाव प्रभारी के हस्ताक्षरोपरान्त वांछित दस्तावेज के साथ सी0एम0आर0 सम्बद्ध सी0एम0आर0 भंडार गोदाम को निर्गत किया जायेगा। साथ ही परिवहन अभिकर्ता आर0टी0 नोट प्राप्त कर अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 क्रमशः सम्बद्ध मिल एवं सम्बद्ध सी0एम0आर0 गोदाम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आर0टी0 नोट पर सहायक प्रबंधक (बेस गोदाम), मिल के मालिक एवं सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी द्वारा आवश्यकतानुसार पावती अंकित की जायेगी।
- निगम क्रय केन्द्र से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल पर अधिप्राप्ति धान हस्तगत कराने के उपरानत निगम क्रय केन्द्र प्रभारी एवं मिल के मालिक के संयुक्त हस्ताक्षर से हस्तगत कराई गई अधिप्राप्ति धान की मात्रा सहित विहित प्रपत्र में पावती तीन प्रतियों में निर्गत की जायेगी। जिसकी एक-एक प्रति क्रमशः निगम क्रय केन्द्र, मिल एवं जिला प्रबंधक के कार्यालय में संधारित की जायेगी।
- किसानों द्वारा निगम के क्रय केन्द्र पर लाये गये अधिप्राप्ति धान के अनलोडिंग हेतु पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दर से हथालन का भुगतान निगम चयनित परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता एवं विशेष परिस्थिति में सक्षम मिलरों द्वारा कराने का दायित्व जिला प्रबंधकों का होगा।

Regarding Lr 14731 dt 4/12/15 (2015-16)

- निगम क्रय केन्द्रवार उपर्युक्त कार्य में प्रयुक्त हेल्परों/मजदूरों की उपस्थिति पंजी संधारित की जायेगी एवं नियमानुसार हेल्परों/मजदूरों को हथालन/मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
- एकरारनामित मिलों के मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो को अभिप्रमाणित कर जिला प्रबंधक सम्बद्ध निगम क्रय केन्द्र प्रभारी एवं अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम के प्रभारी को उपलब्ध करायेंगें ताकि धान के उठाव एवं सी0एम0आर0 हस्तगत कराने के क्रम में असुविधा न हो।
- क्रय केन्द्र से मिल तक भेजे जाने वाले अधिप्राप्ति धान में प्रयुक्त होने वाले वाहन यथा ट्रक/ट्रैक्टर का Owner Book एवं Driving License की विवरणी के साथ तिथिवार, पंजीयण संख्यावार तथा वाहन में मालिक की विवरणी विहित प्रपत्र में पंजी में संधारित की जायेगी।
- जिला प्रबंधक के कार्यालय से निर्गत भंडार निर्गमादेश के आधार पर अधिप्राप्ति धान एकरारनामित मिल को हस्तगत कराया जायेगा तथा भण्डार निर्गमादेश के मूल प्रति पर एकरारनामित मिल के मालिक या उनके प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर को जिला प्रबंधक के द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।
- क्रय केन्द्र प्रभारी/कार्यपालक सहायक का यह दायित्व होगा कि भण्डार निर्गमादेश में अंकित मात्रा के अनुसार हर R.T. Note पर अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर प्राप्त कर अधिप्राप्ति धान की आपूर्ति करेंगें तथा आपूर्ति किये गये धान से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजेंगें। साथ ही हर प्रविष्टि में तिथिवार बोरा की संख्या एवं मात्रा एवं निर्गतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर सहित भण्डार निर्गमादेश के तीनों प्रति पर दर्ज करेंगें।
- जिला के सम्बद्ध मिलों द्वारा अधिप्राप्ति धान से तैयार सी0एम0आर0 चिन्हित सी0एम0आर0 गोदाम को सुपुर्द करने हेतु जिला प्रबंधक द्वारा लॉट नं0 एवं इन्फोर्समेन्अ सर्टिफिकेट निर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति धान की कुटाई के उपरान्त सी0एम0आर0 के परिवहन के क्रम में मिल से उठाव संबंधित विहित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा प्रत्येक मिल पर आवश्यकतानुसार उठाव प्रभारी की व्यवस्था की जायेगी। उठाव प्रभारी द्वारा निर्गत ट्रक चालान पर एकरारनामित मिल मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
- सम्बद्ध मिल से चिन्हित सी0एम0आर0 गोदाम तक मिलिंग के उपरान्त F.A.Q सी0एम0आर0 हस्तगत कराने के उपरान्त उठाव प्रभारी एवं सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से हस्तगत कराई गई सी0एम0आर0 की मात्रा सहित विहित प्रपत्र में पावती चार प्रतियों में निर्गत की जाएगी, जिसकी एक-एक प्रति क्रमशः मिल के मालिक, उठाव प्रभारी, सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी तथा जिला प्रबंधक के कार्यालय में संधारित की जायेगी।

8. धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

- ऑनलाईन पंजीकृत किसान से ही धान का क्रय किया जाना है।
- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज-अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल-गुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड- इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र-मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज- इनमें से कोई एक।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना।
- खरीफ विपणन मौसम 2015-16 अन्तर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय।
- अनुमण्डल अन्तर्गत अवस्थित निगम क्रय केन्द्र पर धान अधिप्राप्ति की अवधि में क्रय केन्द्रों पर कृषकों के भूमि संबंधित दस्तावेज के जाँचोपरान्त आवश्यकतानुसार प्रवर्तन प्रमाण-पत्र (Enforcement Certificate) निर्गत करने हेतु क्रमशः अंचलाधिकारी एवं हल्का कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल स्तर पर निर्गत इन्फोर्समेन्ट की पंजी संधारित रहेगी, जिसकी जाँच/सत्यापन समय-समय पर जिला स्तरीय निरीक्षी पदाधिकारी एवं निगम के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र-मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज- इनमें से कोई एक।
- अगर किसान दूसरे के जमीन पर खेती कर रहे हो तो ऑनलाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होगें:-(1)अपना फोटो(2) पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) (3) बैंक पासबुक (4) धान उत्पादन में उनके द्वारा पर्युक्त भूमि का रकवा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व-घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहाकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना।
- खरीफ विपणन मौसम 2016-17 अन्तर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसान से धान की अधिप्राप्ति की जाय साथ ही किसानो से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रुप से संलग्न रहे।

7. पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत **Acceptance Order** के आधार पर किया जायेगा, राज्य खाद्य निगम अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों का दबाव कम हो।

8. **भुगतान की व्यवस्था**

पैक्सो/व्यापारमंडलों द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी की सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अनुरुप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गए धान का भुगतान अबिलम्ब (48 घंटे के अन्दर) **RTGS/NEFT** के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय।

- पैक्स एवं व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर **RTGS/NEFT** के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना।
- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान **RTGS/NEFT** के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना एवं किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय एवं भुगतान की सूचना **SMS** से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जायगा।
- पैक्स एवं व्यापारमंडलों द्वारा क्रय धान के समतुल्य सी0एम0आर0 जमा करने के परिप्रेक्ष्य में जिला कार्यालय द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल से निगम मुख्यालय से पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन एवं अन्य वांछित कागजात प्राप्त कर **Acceptance Order** निर्गत किया जायगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल निर्धारित रोस्टर के अनुसार सी0एम0आर0 केन्द्र पर सभी वांछित कागजातों (जिला कार्यालय से निर्गत **Acceptance Order**) के आधार पर सी0एम0आर0 जमा करेंगें। <u>बिना सम्पूर्ण कागजात के सी0एम0आर0 की प्राप्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। इसके लिए संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी/जिला प्रबंधक पूर्ण रुप से जिम्मेवार होंगें।</u>
- पैक्स एवं व्यापारमंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम उनसे प्राप्त एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडभाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जाँचोपरान्त **RTGS/NEFT** के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

<u>पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा निगम सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किये जाने वाले सी0एम0आर0 के विरुद्ध भुगतान की व्यवस्था :-</u>

- <u>सी0एम0आर0 प्राप्ति के समय निम्न कागजात जमा किया जायेगा:-</u>
  - ✓ पैक्स पंजीकरण की प्रति।
  - ✓ पंजीकृत/चयनित/टास्क फोर्स से अनुमोदित मिल से एकरारनामा की छायाप्रति।
  - ✓ किसानों को **RTGS/NEFT** के माध्यम से भुगतान किये गये सत्यापित बैंक एडवाईस एवं किसानों को भुगतित बैंक विवरणी की सत्यापित प्रति।
  - ✓ प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।

Regarding 13566 at 15/11/16 (2016-17)

- ✓ पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान बिक्री करने वाले किसानों की विवरणी (विहित प्रपत्र में)।
- ✓ जिला प्रबंधक द्वारा निर्गत **Acceptance Order** की प्रति।
- ✓ जमा सी0एम0आर0 से संबंधित विपत्र (निगम मुख्यालय के पत्रांक 1226 दिनांक 29.01.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में) जिला कार्यालय में सभी वांछित कागजात के साथ समर्पित करने के उपरान्त उन्हें भुगतान करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
- ✓ निगम के जिला कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पैक्स/व्यापार मंडल से भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अन्य वांछित कागजातों पर तत्काल कार्रवाई कर पैक्स/व्यापार मंडल को सात दिनों के अन्दर **RTGS/NEFT** के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें तथा त्रुटि की स्थिति में दो दिनों के अन्दर लिखित रूप से संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल को त्रुटि निराकरण हेतु संसूचित करेंगें।

- बैंकों को निर्गत किये जाने वाले एडवाईस पर इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि संबंधित खाता में राशि का हस्तांरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित बैंक अधिकतम 24 घंटे के अन्दर जिला कार्यालय को इस संबंध में सूचना देंगें ताकि त्रुटि का निराकरण कर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
- सभी जिला प्रबंधक जिला से सम्बद्ध बैंक में अधिप्राप्ति कार्य हेतु अलग खाता खोलना सुनिश्चित करेंगें। इस खाते में अधिप्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष का लेन-देन नहीं करेंगें।
- जिलों में अधिप्राप्ति कार्य हेतु पूर्व से संधारित **Account** को तत्काल बन्द कर इस वर्ष के लिए अधिप्राप्ति कार्य हेतु सम्बद्ध बैंक में नये खाता द्वारा ही अधिप्राप्ति कार्य का संचालन सुनिश्चित करेंगें। विशेष परिस्थिति में यदि मुख्यालय स्तर पर सम्बद्ध बैंक में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार जिला प्रबंधक द्वारा खाता में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- जिला मुख्यालय स्तर पर अधिप्राप्ति खाता जीरो बैलेन्स पर खोला जायेगा एवं इस खाते में एडवाईस प्रस्तुत करने पर निगम मुख्यालय के अधिप्राप्ति ऋण खाते से राशि स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। जिला प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार प्राप्त राशि का उपयोग अधिप्राप्ति कार्य में करेंगें ताकि जिला के खाते में अनावश्यक रूप से सूद का वहन निगम को न करना पड़े। जो जिला प्रबंधक इसका ध्यान नहीं रखेंगें, क्षति की राशि उनसे वसूली जायेगी।
- पैक्स/व्यापारमंडल/मिलरों द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध समर्पित विपत्र से पूर्व की भाँति पुराने बोरा मद में राशि की कटौती की जायेगी।
- पैक्सों को उनके द्वारा जमा किये गये सी0एम0आर0 के विरूद्ध उनके आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज की पूर्ण जाँचोपरान्त भुगतये राशि का निगम द्वारा स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता का चेक एडवाईस सहित निर्गत की जायेगी। उल्लेखनीय है कि बैंक एडवाईस में संबंधित पैक्सों का नाम, पैक्स द्वारा जमा किये गये सी0एम0आर0 की मात्रा अंकित रहेगी। बैंक एडवाईस निर्गत किये जाने संबंधित पत्र की एक प्रति निगम के संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी को पृष्ठांकित की जायेगी ताकि जिला प्रबंधक के कार्यालय से की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध हो सके।

9. <u>विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत सी0एम0आर0 गोदामों का संचालन/प्रबंधनः-</u>

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत अधिप्राप्ति धान के समानुपातिक मात्रा में जमा होने वाले सी0एम0आर0 के आधार पर जिला/अनुमण्डल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित सी0एम0आर0 केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- जिला प्रबंधक एवं प्रतिनियुक्त अधिप्राप्ति पदाधिकारी प्रति सप्ताह/माह में जमा होने वाले सी0एम0आर0 की संभावित मात्रा के आधार पर एक सुनिश्चित कार्य योजना तैयार करेंगें, जिसमें एकरारनामित मिलर/पैक्स/व्यापार मंडल से उनकी क्षमता के अनुरूप प्रति सप्ताह/माह सी0एम0आर0 प्राप्ति का तिथिवार रोस्टर का विवरण अंकित होगा।
- सी0एम0आर0 का एक गोदाम भर जाने पर ही दूसरे अधिसूचित गोदाम में सी0एम0आर0 का भंडारण किया जायेगा। साथ ही सी0एम0आर0 का निर्गमन में प्रथम आगत-प्रथम निर्गत (**FIFO**) सिद्धान्त का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन नहीं किये जाने पर इसके लिए सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी पूर्ण रूप से जिम्मेवार माने जायेंगें।

8. **भुगतान की व्यवस्था**

- आलोच्य वर्ष में सहकारिता विभाग एवं निगम द्वारा लाभार्थी तक का भुगतान Public Financial Management System के अन्तर्गत किया जायगा।
- सभी जिला प्रबंधक PFMS System में सभी पैक्स/व्यापार मंडल का निबंधन करना सुनिश्चित करेंगें। इस हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 12017 दिनांक 27.11.17 द्वारा प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। प्रपत्र में संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल से सूचना उपलब्ध कर निबंधन करायेगें। इसमें आनेवाली किसी प्रकार की कठिनाई के लिए महाप्रबंधक, वित्त या सेवाप्रदाता एजेंसी 4G Identity Solution के परियोजना प्रबंधक से सम्पर्क करेंगें।
- सहकारिता विभाग द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को धान के लक्ष्य के अनुरूप सी0सी0लिमिट उपलब्ध कराया जायगा। सी0सी0 लिमिट जिस बैंक खाते में उपलब्ध कराया जायेगा उस बैंक खाते की सम्पूर्ण विवरणी PFMS Protal के Software में integrated की जायगी।
- पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का भुगतान 48 घंटे के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायगा तथा इसकी सूचना SMS के माध्यम से संबंधित किसानों को दी जायेगी।
- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई धान या सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जायेगा। गोदाम भण्डारण में गुणवत्तापूर्ण, भौतिक रुप से प्राप्त सी0एम0आर0 का ही ससमय भुगतान हो, इसके लिए अधिप्राप्ति e-procurement एवं PFMS का भी समय-समय पर अनुश्रवण एवं समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक में की जायेगी।

9 .**सी0एम0आर0 के पर्यवेक्षण/निर्गमन हेतु वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) की प्रतिनियुक्ति**

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के स्तर से निर्गत मार्गनिदेश में सन्निहित प्रावधानानुसार सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों में भंडारित होनेवाले सी0एम0आर0 के पर्यवेक्षण /भौतिक सत्यापन /गुणवत्ता की जाँच एवं एतद्सम्बन्धी विमुक्ति आदेश के निर्गमन हेतु वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) की प्रतिनियुक्ति जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) का दायित्व होगा कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार के आवंटन के विरूद्ध सी0एम0आर0 के निर्गमन हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत करेगें। निर्गत विमुक्ति आदेश के विरूद्ध उठाव किए गए सी0एम0आर0 का उपयोग टी0पी0डी0एस0 के अधीन एवं अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। आपूर्ति/वितरण कार्य से जुड़े पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक सी0एम0आर0 गोदाम पर निरीक्षण पंजी का संधारण किया जायेगा। जिसमें निरीक्षण के समय संबंधित निरिक्षण पदाधिकारी टिप्पणी अंकित करेंगें।
- अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति), जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति संबंधित सभी कार्यो के सम्पूर्ण प्रभार में रहेगें।

10. **अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) का कर्त्तव्य एवं दायित्वः-**

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा लक्ष्यांकित धान की मात्रा के आलोक में कय धान के समतुल्य निर्धारित मानक के अनुरुप सी0एम0आर0 गुणवत्ता युक्त निगम द्वारा संचालित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर प्रकियानुसार जमा किया जाना है जिसका उपयोग बिकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजना में उपयोग कियांजाना है। उक्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यकम के सफल कार्यान्वयन में अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति) की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति) का निम्नांकित कर्त्तव्य एवं दायित्व होगा।

- अपर जिला प्रबंधक सीधे तौर पे अधिप्राप्ति कार्य के लिए जबावदेह होंगे जो जिला प्रबंधक के नियंत्रण में कार्यो का संपादन करेंगें।
- अपर जिला प्रबंधक अधिप्राप्ति प्रत्येक स्तर पर सी0एम0आर0 से संबंधित कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगें।
- निगमाधीन संग्रहण केन्द्रों का सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किये जाने का दायित्व होगा। यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि संचालित किये जा रहे सी0एम0आर0 गोदाम में पूर्व से सी0एम0आर0 भंडारित न हो । यदि भंडारित हो,तो प्राथमिकता के आधार पर पहले उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

Regarding L 11997 dt 24/11/18

(V) धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा, साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।
- अगर किसी दूसरें की जमीन पर खेती कर रहें हों तो ऑन लाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होंगें :– 1. अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्वःघोषणा प्रत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित कराना।
- खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाय। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न रहे।
- पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत Acceptance Order के आधार पर किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों का दबाव कम हो।

(VI) भुगतान की व्यवस्था

- *किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी धान या सी0एम0आर0 की अधिपाप्ति एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।*
- *किसान को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी। किसान को खाते में PFMS के माध्यम से राशि अन्तरण की सूचना SMS से भी प्राप्त होगी।*
- पैक्सों/व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गये धान का भुगतान अविलम्ब RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घन्टे के अन्दर) कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–
  - ❖ पैक्स एवं व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिदिन उपलब्ध होना।
  - ❖ पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय। भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - ❖ पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक

एडमाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलरों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम सी0एम0आर0 छोड़कर) धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जाँचोपरान्त RTPS/NEFT के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं PFMS पोर्टल में भी इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(VII) जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्थाः–

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं स्वयं जिला अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे ।
- **प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो।**
- अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमण्डल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS-Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेंजेगे।
- प्रत्येक प्रखण्ड मे अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- **प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।**

4. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों(पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

(i) अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति धान की प्राप्ति एवं उसके समानुपातिक मात्रा में अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कर सी0एम0आर0 हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बडी न हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा जमा सी0एम0आर0 एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त सी0एम0आर0 से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन भेजना।**
- **बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।**
- राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्रों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर नहीं हो जहाँ वे गत वर्ष पदस्थापित थे एवं वितरण प्रणाली से जुडे पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नही लगाया जायेगा।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।